न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेरलीमण्डी, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : राजीव जिन्दल, आर.जे.एस.
आपराधिक प्रकरण संख्या : 31/2024
CNR NO. : RJAL360000982024
एफआईआर संख्या : 598/2023 पीएस : खेरली, अलवर
राजस्थान राज्य

—— **अभियोगी**

— बनाम —

मुकेश पुत्र श्री शोभाराम हाल उम्र 26 साल निवासी दारौदा पुलिस थाना खेडली जिला अलवर।

——— **अभियुक्त**

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 323,341,324,325 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थित</u> :—

1—विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी : वास्ते अभियोगी।

2—विद्वान अधिवक्तागण श्री दीपेन्द्र नरूका : वास्ते—परिवादी।

2—विद्वान अधिवक्तागण श्री सतेन्द्र शर्मा : वास्ते—अभियुक्त।

—:: निर्णय ::— दिनांक : 24.04.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी सोनू मीणा द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना खेरली पर इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.12.2023 को समय सांय 7—8 बजे के करीब परिवादी लाटकी से मोटरसाईकिल से गांव आ रहा था तो नाई के मोहल्ला के पास रास्ते में एक अलाव जल रहा था तो वह व उसका साथी आत्माराम सर्दी से बचने के लिए तापने लग गये तो अचानक वहां पर मुकेश, धीरू, नीरू व एक अन्य व्यक्ति उनके पास आये और शराब के लिए रूपये मांगने लगे जिस पर परिवादी पक्ष ने मना कर दिया तो उक्त धीरू ने उसे जान से मारने की नियत से सिर में फरसी से वार किया जिससे परिवादी के सिर में चोट आई है व मुकेश ने डण्डे की सीधे हाथ में मारी जिससे उसके सीधे हाथ में चोट आई है व वीरू ने डण्डा की परिवादी के पैर में चोट मारी जिससे पैर में चोट आई है। एक अन्य

व्यक्ति ने परिवादी की पीठ में लात मारी व उसे अधमरा कर दिया। परिवादी के साथ आत्माराम और था जिसके साथ भी उक्त लोगों ने गाली–गलौच की है, उक्त लोगों के पास अवैध पिस्टल भी थी। परिवादी को मौके से गांव के लोग उठाकर खेडली अस्पताल ले गये, जहां परिवादी का ईलाज हुआ, ... इत्यादि इत्यादि। तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पूर्वोक्त वर्णित प्राथमिकी पंजीबद्ध हुई। जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध का अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना खेरली, अलवर द्वारा मुकदमा संख्या 598/2023 अन्तर्गत धारा 323,341,427 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त मुकेश के खिलाफ 323,341,324,325 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.24 को धारा 323,341,324,325 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे अपराध अन्तर्गत धारा 323,341,324,325 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी डब्ल्यू 1 सोनू, पी डब्ल्यू 02 आत्माराम, पी डब्ल्यू 03 देवकरण के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये :–

प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी 3	नक्शामौका
प्रदर्श पी 4	चोट प्रतिवेदन सोनू
प्रदर्श पी 5	एक्सरे रिपोर्ट सोनू
प्रदर्श पी 6	एक्सरे प्लेट सोनू
प्रदर्श पी 7	पुलिस बयान गवाह आत्माराम उर्फ आतू

प्रदर्श पी 8	पुलिस बयान गवाह देवकरण

- **अभियुक्त की ओर से अभियोजन साक्ष्य के दौरान गवाह सोनू के पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 प्रदर्शित कराये।**

4. प्रकरण में दिनांक 15.12.2025 को परिवादी/मजरूब सोनू के द्वारा आरोपी मुकेश के साथ धारा 323,341,325 भा0दं0सं0 के अपराध के राजीनामा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। धारा 323,341,325 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध धारा 320(1)(2) द.प्र.स. के अनुसार शमनीय होने से दिनांक 15.12.2025 को परिवादी/मजरूब के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के आरोप का विचारण शेष रहा। अभियोजन साक्ष्य के दौरान परिवादी/मजरूब व स्वतंत्र गवाहान द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन ना किए जाने के कारण शेष अभियोजन साक्ष्य न्यायहित में बंद की गई। अतः निर्णय अभियुक्त के विरूद्ध केवल धारा 324 भा0दं0सं0 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

5. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो उसने अपने विरूद्ध आई अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत होना बताया तथा स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार करने पर अवसर समाप्त किया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि, प्रकरण के परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्ठि नहीं की है तथा अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त गवाहान जिरह में पक्षद्रोही साबित हुए है। प्रकरण में अभियुक्त से परिवादी पक्ष का राजीनामा हो गया है। अतः प्रकरण में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाकर दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित होने का कथन कर उसे उचित दण्ड दिये जाने का निवेदन किया।

7. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि,

1. क्या अभियुक्त मुकेश ने दिनांक 20.12.2023 को समय रात्रि करीब 7–8 बजे गांव गारू सरहदें पुलिस थाना खेरली में परिवादी/मजरूब सोनू के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की और इस प्रकार धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या हो ?

8. उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो प्रकरण के परिवादी **गवाह पी डब्ल्यू 1 सोनू** द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2 साल पूर्व सायं 7–8 बजे वह व आत्माराम लाठकी से मोटरसाइकिल से गांव जा रहे थे तो रास्ते में नाई मौहल्ला के पास आग पर तापने के लिए रूके। जहां मुकेश व कई अन्य लोग बैठे हुए थे। बातें ही बातों में मुकेश से उसकी गाली–गलौच होने लग गई व धक्का मुक्की में वह पत्थर के उपर गिर गया। पत्थर पर गिरने से उसके चोट आई। जहां उपस्थित लोगों में से आत्माराम व अन्य लोगों ने बीच बचाव कराया जिस घटना की रिपोर्ट उसने दर्ज कराई जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 02 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी 03 है। उसके आई चोटों का उसने मैडिकल कराया जो प्रदर्श पी 04 है। उसकी चोटों का उसने एक्सरे कराया जो एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 है व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 06 है जो संख्या में 05 है जो शामिल पत्रावली है। **जिरह में उक्त गवाह ने साक्ष्य दी है कि यह सही है कि उसके साथ लाठी–डण्डे व फरसी से कोई मारपीट नहीं की थी। उसके शरीर पर आई चोटें पत्थरों पर गिरने से आई थीं। यह कहना सही है कि उक्त मुकदमे में अब उनका राजीनामा हो गया है व उक्त मुकदमे में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता।**

9. गवाह **पी डब्ल्यू 02 आत्माराम** ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब 2 साल पूर्व सायं 7–8 बजे वह व सोनू लाठकी से मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे तो रास्ते में नाई मौहल्ला के

पास आग पर सर्दी से बचने के लिए तापने के लिए रूके। जहां मुकेश व कई अन्य लोग बैठे हुए थे। बातें ही बातों में मुकेश व सोनू के बीच गाली—गलौच होने लग गई व धक्का मुक्की में सोनू के पत्थरों पर गिरने चोट आ गई। उसने बीचबचाव कराया। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा **पक्षद्रोही घोषित** किए जाने पर उसके द्वारा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 पुलिस को नहीं दिए जाना बताया है। यह कहना सही है कि मुलजिम व परिवादी के बीच राजीनामा हो गया है।

10. गवाह **पी डब्ल्यू 03 देवकरण** पूर्णतः **पक्षद्रोही रहा है** तथा कथन करता है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है और पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं बताया है। यह कहना गलत है कि मुकेश ने सोनू के साथ लाठी व फरसी से मारपीट की हो, उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ था। उसने सुना था कि सोनू के पत्थरों पर गिरने से चोटें आ गई थी। **अभियुक्त जिरह** में साक्ष्य देता है कि यह कहना सही है कि मुकेश ने सोनू के साथ लाठी व फरसी से मारपीट नहीं की। उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ था।

11. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य का विचारणीय बिंदु के संदर्भ में समग्र अवलोकन व विश्लेषण करें तो प्रकरण का परिवादी पी डब्ल्यू 1 सोनू मुख्यपरीक्षा में उसकी मुकेश के साथ बातों बातों में गाली—गलौच होकर धक्का—मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से चोट आना बताता है तथा जिरह में भी लाठी—डण्डों व फरसी से कोई मारपीट नहीं होना व उसके शरीर पर चोटें पत्थरों पर गिरने पडने से आना बताता है तथा राजीनामा होने की साक्ष्य देता है। इसके अतिरिक्त गवाह पी डब्ल्यू 02 आत्माराम व पी डब्ल्यू 03 देवकरण साक्ष्य में पूर्णतः पक्षद्रोही साबित हुए हैं एवं विचारणीय बिंदु के समर्थन में कोई सम्पुष्टकारक साक्ष्य नहीं देते हैं एवं अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 7 व प्रदर्श पी 8 से इनकार करते हैं। इस प्रकार पत्रावली पर विचारणीय बिंदु के समर्थन में कोई सारवान साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे कि यह प्रकट होता हो कि दिनांक 20.12.2023 को समय रात्रि 7—8 बजे के लगभग गांव गारू में अभियुक्त ने परिवादी के धारदार

हथियार से मारपीट कर उसके स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, प्रकरण में परिवादी द्वारा मुलजिम से धारा 323, 341, 325 भा0द0सं0 के तहत राजीनामा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय द्वारा बाद जांच तस्दीक किया गया है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर ऐसी कोई सारभूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता हो कि, अभियुक्त मुकेश ने दिनांक 20.12.2023 को समय रात्रि करीब 7–8 बजे गांव गारू सरहदें पुलिस थाना खेरली में परिवादी/मजरूब सोनू के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की और इस प्रकार धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया हो। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 324 भा0द0सं0 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

13. अतः अभियुक्त **मुकेश पुत्र श्री शोभाराम हाल उम्र 26 साल निवासी दारौदा पुलिस थाना खेडली जिला अलवर** को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। दिनांक **15.12.2025** को अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 323,341,325 भा0द0सं0 में राजीनामा पेश होने पर बरूवे राजीनामा आदेशिका दिनांकित **15.12.2025** के अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

14. अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के तहत 10,000–10,000 रूपए की राशि का बंध पत्र व इसी कदर राशि का जमानतनामा इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करावें कि, यदि निर्णय के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने एवं नोटिस जारी होने

की स्थिति में वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा। उक्त जमानत मुचलके बाद बाद गुजरने मियाद स्वतः निरस्त समझे जावें।

(राजीव जिन्दल)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0
खेरलीमण्डी, अलवर

15. निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव जिन्दल)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0
खेरलीमण्डी, अलवर